



93

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

R 5412II/16

रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0



- 1- प्यारेलाल धोबी पिता स्व0 बाबादीन धोबी आयु 70 वर्ष A2-301
- 2- अनिल धोबी पिता रामकिशोर धोबी आयु 19 वर्ष
- 3- रजवा धोबी पिता प्यारेलाल धोबी आयु 35 वर्ष
- 4- रामकिशोर धोबी पिता प्यारेलाल धोबी आयु 40 वर्ष
- 5- रवि धोबी पिता रामकिशोर धोबी आयु 18 वर्ष
- 6- श्रीमती श्यामा धोबी पत्नी प्यारेलाल धोबी आयु 65 वर्ष सभी निवासी लोहरौरा तहसील उंचेहरा जिला सतना.....निगराकारगण

बनाम

शोभनाथ बढई पिता हीरालाल बढई आयु 50 वर्ष निवासी लोहरौरा तहसील उंचेहरा जिला सतना.....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय प्रभाषी वृत्त अटरा तहसील उंचेहरा जिला सतना म0प्र0 के

रा0प्र0क0-14370/15-16 आदेश दिनांक 23/06/16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

- 1- यह कि गैरनिगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/05/16 को मौजा लोहरौरा वृत्त अटरा तहसील उंचेहरा जिला सतना स्थित आराजी नं0-406 रकबा 0.073 हे0 के अंश

अधिवक्ता श्री अनिल
सिन्हा द्वारा प्रस्तुत
21.9.2016

M

21.9.16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5412-II/16

जिला-सतना

प्यारेलाल धोबी / शोभनाथ बढई

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|--|-----|
| 20 .07.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |

